कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर।

—: आदेश :—

ई0 उमेश नारायण सिंह, सहायक अभियंता, स्था0 क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल–01 (विधान सभा क्षेत्र गायघाट) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री रविकांत रंजन, कनीय अभियंता, मनरेगा द्वारा गायघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में माननीय विधायक एवं माननीय पार्षदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस आलोक में अभिकरण के ज्ञापांक 4677 दिनांक 05.12.2014 से स्पष्टीकरण पूछा गया।

दिनांक 20.02.2016 को जिला स्तरीय मनरेगा की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा गायघाट प्रखंड की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड में लंबित एम0बी0 की संख्या 1541 है एवं 05 फरवरी से 20 फरवरी 2016 के बीच एक भी एम0बी0 नहीं किया गया है। तदालोक में अभिकरण के ज्ञापांक 792 दिनांक 04.03.2016 से उक्त तिथि का मानदेय कटौती करते हुए अगले आदेश तक मानदेय स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

माननीय श्री महेश्वर प्रसाद यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा, गायघाट द्वारा शिकायत की गयी कि गायघाट प्रखंड में कार्यरत कनीय अभियंता श्री रविकांत रंजन काफी दिनों से पदस्थापित रहने के कारण स्थानीय ठेकेदारों से मिलकर मनरेगा योजनाओं में लूट मचाने, योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहे है।

श्री रविकांत रंजन, कनीय अभियंता द्वारा अभिकरण के ज्ञापांक 792 दिनांक 04.03.2016 से पूछे गये स्पष्टीकरण के उत्तर में अंकित किया गया कि योजनाओं का मापीपुस्त का संधारण किया गया, किन्तु एम0आई0एस0 में प्रविष्टि नहीं किया गया। दिनांक 20.02.2016 के बाद मापीपुस्त की प्रविष्टि अद्यतन कर लिया गया है और एम0आई0एस0 में दिख रहे लंबित मापीपुस्त की प्रविष्टि इंदिरा आवास से संबंधित है। मानवीय भूलवश स्पष्टीकरण का जबाव ससमय नहीं दे पाये थे। परंतु इनके द्वारा अभिकरण के ज्ञापांक 4677 दिनांक 05.12.2014 से पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया।

अभिकरण के पत्रांक 3496 दिनांक 29.10.2016 द्वारा श्री रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट एवं प्रभारी सहायक अभियंता, मनरेगा से संयुक्त रूप में मंतव्य की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट द्वारा अपने पत्रांक 333 दिनांक 10.12.2016 से संयुक्त रूप में प्रतिवेदित किया गया कि श्री रंजन द्वारा मनरेगा कार्यो में कोताही बरती जा रही है, मनरेगा कार्य बाधित हो रहा है। साथ ही इनका व्यवहार भी अन्य कर्मियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक नहीं रहता है। इसलिए इन पर यथोचित कार्रवाई की जा सकती है।

इसी क्रम में श्री प्रेम किशोर सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज रामनगर द्वारा शिकायत किया गया कि श्री रविकांत रंजन, कनीय अभियंता द्वारा अन्य कार्यरत कनीय अभियंता को मनरेगा कार्य नहीं करने के लिए धमकाते है जिस कारण अन्य कर्मी भी कार्य करने में असमर्थ महसूस करते है।

उपरोक्त संबंधित मामलें की जांच हेतु गायघाट प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यरत सभी पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता का पक्ष जानने हेतु दिनांक 07.01.2017 को आहूत समीक्षात्मक बैठक बुलाया गया था, परंतु श्री रंजन पूर्व सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे।

फलस्वरूप उपर्युक्त विवेचनाओं उपरांत श्री रविकांत रंजन, कनीय अभियंता पर निम्न आरोप पुष्ट होता है:—

- वित्तीय वर्ष 2014–15 में माननीय विधायक एवं माननीय पार्षदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया जाना।
- अभिकरण के ज्ञापांक 4677 दिनांक 05.12.2014 से पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देना ।
- कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट के पत्रांक 304 दिनांक 22.11.2016 एवं 305 दिनांक 25.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश का अवहेलना करना ।
- पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा बनाये गये प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति, मापीपुस्त एवं सत्यापन नहीं करना ।
- पूर्व सूचना के बावजूद दिनांक 07.01.2017 को आहुत बैठक से अनुपस्थित रहना ।

अतः ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 8574 दिनांक–22.09.2009 के कंडिका–02 के आलोक में श्री रविकांत रंजन, पिता–श्री भुवनेश्वर सिंह, ग्राम+पो0–धरौत, जिला–जहानाबाद, पिन–804405 जिनका रौल नम्बर–603995 है, की संविदा/नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से रद्द की जाती है।

ह0–/–

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 288 / अभि0, मुज0 दिनांक– 28/01/2017

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : आयुक्त (तिरहुत प्रमण्डल), मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकरी, गायघाट, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि : कार्यक्रम पदाधिकरी, (मनरेगा), गायघाट मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री रविकांत रंजन, पिता–श्री भुवनेश्वर सिंह, ग्राम+पो0–धरौत, जिला–जहानाबाद, पिन–804405 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : मनरेगा प्रभारी सहायक, पूर्वी/पश्चिमी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

27/01/17

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

27/01/17

(2)